राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 321 Date: 27-04-2022

परिपत्र–7

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न सेवा श्रेणियों के लाभार्थियों को नकदविहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 01.07.2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रायः देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत कर या स्वयं का कार्ड किसी अन्य को प्रयोग हेतु देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरूद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर कार्ड में शामिल कर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते रहे है। जिससे साभिप्राय राजकोष के दुरूपयोग की बात इंगित होती है।

ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर (R.C.S.(Pension) Rules, 1996 के अन्तर्गत) द्वारा नियम विरूद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है, के संबंध में Scheme for Grant of Medical Concession to State Government Pensioners के लिये वित्त (नियम अनुभाग) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.1(4)FD/Rules/2021, दिनांक 15.04.2021 के बिंदु संख्या 15 ''In cases where it is found that a pensioner has abused or misused any of the concessions allowed under the Scheme, he shall be permanently debarred from availing of the concessions under this Scheme. Appeal shall lie against his order to the competent level in RGHS.'' में संबंधित को योजना से पृथक किये जाने का प्रावधान है।

यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर्स (R.C.S.(Pension) Rules, 1996 के अन्तर्गत) ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाये जाते है तो परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से संबंधित का कार्ड निष्क्रिय कर योजना से पृथक कर दिया जावेगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरूद्ध निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को अपील की जा सकेगी।

इसी प्रकार सेवारत राज्यकर्मी नियम विरूद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में लिप्त पाये जाते है तो परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से कार्ड को निष्क्रिय कर संबंधित कार्मिक के नियोक्ता विभाग को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण और अपील) नियम 1958 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 322-339 Date: 27-04-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
8. विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
9. संयुक्त परियोजना निदेशक (सतर्कता), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
10. संयुक्त परियोजना निदेशक (क्लेम यूनिट), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
11. संयु0/उप/सहा0 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
12. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
14. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
15. सहायक प्रोगामर, आरजीएचएस को आरजीएचएस वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय तथा समस्त सहकारी दवा भण्डार एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर्स को भेजकर लेख है कि ऐसे प्रकरणों से आरजीएचएस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।
17. टीपीए, आरजीएचएस।
18. रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना